न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 21/2006
जीसीएमएच:– 2006/00001

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. अबाराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी धमाणा का गोलिया तह/जिला सांचौर		स्व. कोजा पुत्र गोरखा के कायम मुकाम 1. हापूराम पुत्र कोजा। 2. तेजाराम पुत्र कोजा। 3. नारायणलाल पुत्र कोजा। 4. मु. सुवटी बेवा कोजा। स्व. जोधा पुत्र भारता के कायम मुकाम 5.मांगीलाल पुत्र जोधा। 6.ओपाराम पुत्र जोधा जातियान विश्नोई निवासीगण धमाणा का गोलिया तह/जिला सांचौर 7. तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

तारीख रजू:– 04.11.2006

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल पालड़िया।
2. अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया।

निर्णय **दिनांक** 12/8/2024

प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा धमाणा में प्रार्थी अंबाराम पुत्र स्व.सोना के पूर्वज सोना वल्द मिसरी की कब्जा सुदा एवं खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 406 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। द्वितीय भू–प्रबंध के समय उक्त भूमि से नवीन खसरा नम्बर 821 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1048 रकबा 2.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1049 रकबा 2.55 हैक्टयर, एवं खसरा नम्बर 838/1699 रकबा 0.15 हैक्टययर किस्म गैर मुमकिन सड़क तजवीज हुए। प्रथम भू–प्रबंध के दौरान जमाबंदी संवत् 2012 से 2015 एवं 2016 से 2019 तक जमाबंदी प्रार्थी के पिता सोना वल्द मिसरी के नाम से इन्द्राज हुई, परन्तु 2020 से 2023 की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता सोना वल्द मिसरी के स्थान पर कोजा वल्द गोरखा 1/2 एवं जोधा वल्द भारता 1/2 के खातेदारी में खसरा नम्बर 406 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा में से नवीन खसरा नम्बर 406/1 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में से तजवीव करदी गई थी तथा खसरा नम्बर 406 रकबा रिड़मल वल्द मूला 1/2 एवं हीरा वल्द हणूता 1/2 कौम विश्नोई के नाम तजवीज कर दी। आगे चलकर रिड़मल पुत्र मूला व हीरा वल्द हणूता ने खसरा नम्बर 406 रकबा 22 बीघा पुनः प्रार्थी के पक्ष में दर्ज करवा दी, मगर कोजा वल्द गोरखा व जोधा वल्द भारता का नाम वादग्रस्त भूमि में यथावत रहा। इस प्रकार अप्रार्थीगण व इनके पूर्वजों का नाम प्रार्थी की खातेदारी भूमि में बिना किसी विधिसम्मत नामान्तरकरण के अवैध तौर पर दर्ज होकर आदिनांक तक अवैध रूप से कायम है, जो एक लिपिकीय त्रुटि है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख दुरस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांके सरहद धमाणा में स्थित खसरा नम्बर 821 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1048 रकबा 2.07 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 1049 रकबा 2.55 हैक्टयर कुल रकबा 4.94 हैक्टयर के राजस्व अभिलेख वर्तमान जामबंदी से अप्रार्थीगण के नाम हटाया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी दुरस्त करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:18:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलव किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। बांके सरहद मौजा धमाणा का खेत खसरा नम्बर 821 व खसरा नम्बर 1048 जुमले रकबा 2.39 हैक्टयर भूमि हम अप्रार्थीगण के कब्जे–काश्त की है, जिस पर पिछले 40 वर्षो से उक्त आराजी पर हम अप्रार्थीगण का सहज,शांतिपूर्ण व निर्वाध रूप से काविज होकर काश्त करते आ रहे है। जिसका लगान निरन्तर हमारे द्वारा चुकाया गया है। एवं गिरदावरी भी हमारे नाम से दर्ज होती आ रही है। खसरा नम्बर 406 रकबा 36 बिघा 14 बिस्वा में से 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि कोजा पुत्र गोरखा व जोधा पुत्र भारता को बैचान करने पर नामान्तरकरण 29 के जरिये नाम दर्ज हुआं जिस पर पटवारी द्वारा तरमीम कर नवीन खसरा नम्बर 406/1 दर्ज किया गया। उक्त भूमि से सड़क चला गया। एवं शेष 14 बिघा 14 बिस्वा रकबा हमारी खातेदारी में चला आ रहा है और इससे नवीन खसरा नम्बर 821 रकबा 0.32 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1048 रकबा 2.070 हैक्टयर जुमले रकबा 2.39 हैक्टयर बने, जो पीढीदर पीढी अप्रार्थीगण के हक–हकूक में चले आ रहे है। उक्त प्रार्थना पत्र मन–घड़न्त तथ्यों के आधार पर रचकर पेश किया गया, जो म्याद बाहर भी है। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर खातेदारी की घोषणा की इस्तदुआ चाही है, जो हस्तगत प्रार्थना पत्र से विधि के तहत किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती है, अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि के सिद्वांतो के विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

हमनें विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 29 को किसी प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकार नही किया गया है। जिससे राजस्व रेकर्ड में उसके द्वारा की गई प्रविष्टियां रेकर्ड दुरस्ती की श्रेणी में आने से दुरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदारी पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर, सांचौर के वाद सख्या 74/61 में दिनांक 15.05.1961 को को जरिए राजीनामा की गई डिक्री की पालना में उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर फैसल किया गया। यदि एक बार को मान भी लिया जावें कि नामान्तरकरण प्राधिकारी द्वारा तस्दीक नही किया गया, तो भी प्रार्थी को नामान्तरकरण की अपील सक्षम न्यायालय में पेश करनी चाहिए एवं सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.1961 की अपील पेश की जानी चाहिए, जिनकी म्याद गुजर चुकी है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि बदनीयती से हड़पना चाहता है। प्रार्थी पूर्व में भी अवैध कब्जा करने का प्रयास कर चुका है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर के मुकदमा नम्बर 3/2007 के निर्णय दिनांक 16.05.2012 के द्वारा अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त उक्त भूमि पर स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिए खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है, जो उक्त प्रकरण में दुरस्ती के काबिल नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन कियां पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए संगत विधि प्रावधानो पर गौर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:18:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 अनु[illegible] प्रावधान ग्राम धमाणा के खेत खसरा नम्बर 406 रकबा 36 बिघा 14 [illegible] री में दर्ज थी। न्यायालय सहायक कलक्टर, सांचौर के [illegible] 1961 की राजीनामा डिक्री के आधार पर 16 बिघा 14 बिस्वा भूमि कोजा पुत्र गोरखा ए[illegible]ोधा पुत्र भारता के नाम दर्ज की गई। नामान्तरकरण संख्या 29 पटवारी द्वारा पेश किया जिसकी जांच भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई, परन्तु तस्दीक नही हुई। यह एक प्रक्रियागत त्रुटि थी, जिसकी अन्दर म्याद अपील सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश की जानी थी। प्रार्थी द्वारा राजीनामा से पारित डिक्री की

सहायक कलेक्टर, सां…

Scanned with OKEN Scanner

अपील भी प्रस्तुत नही की गई। पत्रावली पर मौजूद न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांचौर के मुकदमा नम्बर 3/2007 सरकार बनाम पार्टी संख्या 1 अम्बाराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी धमाणा का गोलिया एवं पार्टी संख्या 02 हापूराम पुत्र कौजा जाति विश्नोई निवासी धमाणा का गोलिया के निर्णय दिनांक 16.05.2012 में भी न्यायालय ने उक्त भूमि पर कब्जा हापूराम पुत्र श्री कोजा जाति विश्नोई का माना है। इस प्रकार मौजूद राजस्व अभिलेखो न्यायालय सहायक कलक्टर, सांचौर के निर्णय व डिक्री से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजो के मध्य से राजीनामा डिक्री द्वारा भूमि की खातेदारी का हस्तान्तरण हुआ था, जिसकी दुरस्ती करके खातेदारी पुनःदर्ज करने का प्रावधान धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में नही है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के दायरे/अन्तर्गत नही आता है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने एवं विधि के प्रावधानों के अनुकूल नही होने से अस्वीकार करना विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित नही होने एवं उक्त धारा के प्रावधानो के दायरे/अन्तर्गत नही होने, धारा 136 में खातेदारी दुरस्त करने की इस्तदुवा विधिसंगत नही होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

उक्त आज दिनांक 12/8/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर,
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:18:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner